राजस्व अपील संख्याः—86 / 2024
जीसीएमएस संख्याः—2024 / 179

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या— 86 / 2024

जीसीएमएस संख्या 2024 / 179

अपीलार्थीगणः—

1. स्व0पूनाराम पुत्र श्री जेठारामजी,जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर के कायम मुकामान—
   1/1 श्रीमती दाखु पत्नी स्व0 पूनारामजी, जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर
   1/2 लिछीदेवी पुत्री स्व0 पूनारामजी, जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर
   1/3 श्रीमती धन्नीदेवी पुत्री स्व0 पूनारामजी, जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर
   1/4 पप्पूडी पुत्री स्व0 पूनारामजी, जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर
   1/5 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 पूनारामजी, जाति जाट निवासी—जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगण—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. अधिशाषी अभियन्ता(भवन एवं पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग पता— पी0डब्लयू0डी0 विभाग जोधपुर

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण सं0 134 दिनांक 15—9—1977 जो कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया

उपस्थित—

1. अधिवक्ता अपीलार्थीगण—बी0आर0 विश्नोई,
2. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण — दिनेश जोशी

निर्णय

दिनांकः 09/3/26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत कर निवेदन कियागया है कि ग्राम जाजीवाल के सरहद में स्थित खसरा नं0 170/26 रकबा 4 बीघा विस्वा दर्ज है। जिसका मूल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि के रूप में हरजीराम, रूघाराम एवं पूनाराम के सहखातेदारी मे दर्ज थी। हरजीराम का देहान्त होने पर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस पन्नीदेवी ने सम्पूर्ण हिस्सा पूनाराम व रूघाराम के हक में जरिये हकतर्कनामें

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर (राज०)

के अन्तरित कर दिया। जिस पर रूघाराम व पूनाराम बतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज रहे। रूघाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा पूनाराम के हक में हकतर्क कर दिया जिस कारण सम्पूर्ण 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि के एकल खातेदार पूनाराम हुए। इसी प्रकार खसरा नं0 170/26/7 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा दुर्गाराम तथा खसरा नं0 170/26/6 रकबा 16 बीघा भानाराम के नाम दर्ज है। इस प्रकार से कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा के रूप में एक चक मे दर्ज है। खातेदारान द्वारा वक्त सेटलमेंट आपस में बंटवाडा कर दिया किन्तु राजस्व रेकर्ड व नक्शे में तरमीम नही होने के कारण विसंगतिया उत्पन्न हुई जिसके हत खसरा नं0 170/26/7 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा जो कि दुर्गाराम वगैरा के खाते मे दर्ज है एवं खसरा नं0 170/26 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा अपीलार्थी के नाम दर्ज है उपरोक्त भूमियां भोपालगढ मुख्य सडक पर आ गई। कालान्तर में सडक सीमा मे आने के कारण अपीलार्थी की 5 बिस्वा एवं खसरा नं0 170/26/7 में 2 बीघा जमीन सडक आ जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। किन्तु खसरा नं0 170/26/7 में कोई नामान्तरकरण न भरकर सम्पूर्ण 2 बीघा 5 बिस्वा का नामान्तरकरण खसरा नं0 170/26 में गलत तरीके से भरा गया, जबकि अपीलार्थी के केवल मात्र 5 बिस्वा भूमि सडक सीमा में आई। जिस नामान्तरकरण की नकल दिनांक 30—5—2022 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई उक्त नामान्तरकरण पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित कर रेकर्ड व मौके के विपरीत नामान्तरकरण जारी किया गया है। खसरा नं0 170/26/7 की कुल भूमि में से 2 बीघा भूमि सडक में जाने के पष्चात 6 बीघा 10 बिस्वा बची जिस पर खातेदार का कब्जा है। इसी प्रकार खसरा सं0 170/26 की 5 बिस्वा भूमि सडक में जाने के पष्चात 6 बीघा 18 बिस्वा पर अपीलार्थी का कब्जा है। प्रत्यर्थी सं0 1 ने बिना मौके की जांच किये नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं0 2 के हक में मौके व रिकोर्ड के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है जिस हेतु ना तो कोई रिपोर्ट तेयार की गई एव न ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी दिया गया। जो मिली भगत करके मौके व रिकोर्ड के विरूद्ध भरवाया गया है। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है जिसे राजस्व रिकोर्ड की जानकारी नही है। अपीलार्थी के पुत्र ओमप्रकाश ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु राजस्व रिकोर्ड प्राप्त किया तो सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तरकरण की दिनांक 30—5—22 को जानकारी हुई जानकारी के आधार पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिस कारण विलम्ब क्षमा करते हुए अपील की मेरिट पर सुनवाई किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी द्वारा समान तथ्यों के आधार पर धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है दिनांक 30—5—2022 को जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा उसी दिन नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत करने की राय

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

दी गई। प्रार्थी ने दिनांक 31–5–2022 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत करने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थी द्वारा आज दिनांक 31–5–22 को अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलार्थी अनपढ ग्रामीण है जो कानूनी पेचिदगियों से अनभिज्ञ है। कानून न्याय दिलाने में साधक है न कि बाधक। अतः विलम्ब क्षमा करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार कर गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि नामानतरकरण सं0 41 पर एलोटमेंट से जेठाराम पुत्र नवलाराम द्वारा विरासत के जरिये उनके वारिसान हरजीराम, रूघाराम, पूनाराम के नाम खसरा नं0 176 / 26 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा दर्ज की गई। नामान्तकररण सं0 134 दिनांक 15–9–77 के जरिये पी0डब्ल्यू0डी0 खसरा नं0 170 / 26 में से खसरा नं0 174 / 26 रकबा 2 बीघा गैर मुमकिन सडक, खसरा नं0 170 / 26 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हरजीराम रूघाराम व पूनाराम के नाम दर्ज की गई। रेकर्डेड खातेदारान के मध्य निष्पादित दस्तावेज के आधार पर खसरा नं0 170 / 26 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा अपीलार्थी पूनाराम के नाम दर्ज है। पूनाराम द्वारा बेचान करने पर खसरा नं0 170 / 26 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा प्रतापराम पुत्र करनाराम दर्ज है तथा खसरा नं0 191 / 26 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नं0 170 / 26 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा पुनाराम के नाम दर्ज है। मौके की स्थिति मे अनुसार ही राजस्व रिकोर्ड में भी दर्ज है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी के रेकडेड खातेदारी एवं संलग्न अन्य खसरान का नजरी नक्शा मय जमाबन्दी के प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण के अनुरूप इन्द्राज होने का कथन करते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन भी किया गया। प्रत्यर्थी सं0 3 द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण पारित किये जाने के 48 वर्षो बाद यह कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलार्थी एंव उसके सम्पूर्ण परिवार को 2 बीघा भूमि सडक मे जाने की शुरू से ही पूर्ण जानकारी रही है। अनिश्चित लाभ प्राप्त करने की आशय से मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। आलोच्य नामान्तकरण पारित करने में किसी प्रकार की विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। सडक सीमा में 2 बीघा भूमि जाने की समयावधि का जानवूझकर अपीालर्थी द्वारा अपील में उल्लेख नही किया गया है। अवाप्ति की कार्यवाही एवं सडक निर्माण हेतु एक विहित प्रकिया है। जिसकी पालना करते हुए कार्यवाही की गई है, 48 वर्षो पश्चात विना किसी हक अधिकारों के मिथ्या तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। राज्य हित एवं आम जनता के हित में रोड बनाई गई है। जिससे अपीलार्थी की भूमि मुख्य सडक पर आ गई है एवं उसको भी लाभ प्राप्त हुआ है। केवल मात्र

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सहानुभूति प्राप्त करने की नियत से अभिवचन प्रस्तुत किये गये है। अपीलार्थी के परिवार के पूर्व में भी किसान कार्ड बने हुए है जिससे अपीलार्थी को राजस्व रिकोर्ड की पूर्ण जानकारी है। प्रत्यर्थी सं0 2 का किसी प्रकार का कोई निजी अथवा व्यक्तिगत हित नही है न ही इस आधार पर उनको किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त हुआ है। 48 वर्षो की दूरी को स्वीकार नही किया जा सकता। अपीलार्थी को विलम्ब के प्रत्येक दिन का समुचित कारण बताना भी आवश्यक है। विभाग द्वारा जब सडक बनाई गई तब चार दिवारी हटाकर बनाई गई थी जिसकी अपीलार्थी को जानकारी है। केवल मात्र तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित किये जाने से न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही हो जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील विधि के विपरीत प्रस्तुत की गई हैं जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोधपुर से प्रकरण हाजा में रिपोर्ट भी तलब की गई जो न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मूल अपील में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्को में कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किये जाने के 48 वर्षो बाद मौजूदा अपील प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाधित है। जिस कारण सर्वप्रथम मयाद के बिन्दू को निस्तारित करते हुए अपील का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये विरोधाभाषी अभिकथनों के सदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को यह अवधारित करना है कि क्या अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का पर्याप्त कारण है और क्या इतनी लम्बी समयावधि तक अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौति नही देने का पर्याप्त हैतुक था। कानूनी बिन्दू पर निचोड़ यह निकलता है कि निहायत तकनीकी आधार पर किसी को भी न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिए, बनावटी बातो को ही बतौर कारण उल्लेखित किया है तो किसी भी पक्षकार के लिए कितना भी कठोर क्यों न हो म्याद के कानून को इसकी पूरी कडाई से लागू किया जाना चाहिए। बृजेश कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2014 (3)सीसीसी 470 सुप्रिम कोर्ट के निर्णय में अनेक नजीरों का हवाला देते हुए निर्देश दियागया है कि विलम्ब को यदि ठीक और संतोषप्रद तरीके से स्पष्ट नही किया तो केवल सहानुभूति के आधार पर देरी को क्षमा नही किया जा सकता है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर करने योग्य नही है क्योकि प्रथमतः यह गलत तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा इतनी दीर्घावधि तक अपील प्रस्तुत नही करने का समुचित कारण भी उल्लेखित नही किया गया है। सडक का निर्माण अपीलार्थी के स्वयं की जानकारी के अनुसार भी पूर्व में ही हो चुका था। यदि अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण से किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज अथवा आपत्ति होती तो अपीलार्थी द्वारा पूर्व में ही आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती थी। किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रभावी कदम नही उठाया गया इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बेबुंनियाद सिद्ध हो जाता है। अनेक न्याय निर्णयन के अनुसार जहां भारी विलम्ब नही हो वहां स्पष्टीकरण को उदारता से लेना चाहिए जबकि मौजूदा मामले में 48 वर्ष का विलम्ब सामने आया है जिसका स्पष्टीकरण असद्भाविक तरीके से दिया गया है। विधि अनुसार देरी का पर्याप्त कारण हो तथा सदभावी हो तो ही विलम्ब क्षमा किया जा सकता है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज व अभिवचनों का अध्ययन करने से विलम्ब को क्षमा किये जाने का पर्याप्त कारण नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 म्याद अधिनियम के बाहर होने से खारिज की जाती है।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 09/3/26 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर